

F.No 133/1986
F.No-15
NR
20/9

No.6(1)-EV/86
Government of India
Ministry of Finance
(Department of Expenditure)

...
New Delhi, the 4th August, 1986

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Refund of Contribution made under the Central Govt. Employees Insurance Scheme, 1977.

The undersigned is directed to invite the attention of all the Ministries/Departments of the Central Govt. to this Ministry's O.M. of even number dated 15th May, 1986 according to which the debits in the G.F.F. account on account of the instructions contained in the said O.M. are not to be taken into account for the purpose of admissibility of incentive bonus allowed for non-withdrawl from G.P.F. Account. The Scheme of incentive bonus has since been withdrawn under the Ministry of Finance resolution No.6(1) FD/86 dated 30th April, 1986. Instead it has been laid down that an amount equivalent to 1% of the amount withdrawn from GPF Account by an employee will be deducted from the interest creditable to his GPF Account. It is clarified that withdrawal on account of refund of discounted value in terms of the instructions contained in the O.M. dated 15th May, 1986 shall not constitute withdrawal for the purpose of the above mentioned reduction.

12/86

11.2.86
2

K. Ratan
(K. RATAN)
DIRECTOR

All Ministries/Departments.

As per standard list.

संख्या 6१११-संस्था. V/86

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त, 1986

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना, 1977 के अन्तर्गत किए गए अंशदान की वापसी।

मैंने केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस मंत्रालय के दिनांक 15 मई, 1986 के समसंख्यक का०डा०की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेशों के कारण सामान्य भविष्य निधि खाते में किए गए डेबिटों को सामान्य भविष्य निधि खाते से न निकाली गई राशि पर दिए जाने वाले प्रोत्साहन बोनस की ग्राह्यता के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा। प्रोत्साहन बोनस की योजना को वित्त मंत्रालय के दिनांक 30 अप्रैल, 1986 के संकल्प सं० 6१११/पी डी //86 द्वारा वापिस ले लिया गया है। इसके स्थान पर यह निर्णय किया गया है कि किसी कर्मचारी द्वारा सामान्य भविष्य निधि खाते से निकाली गई राशि के 1% के ब्याज की राशि उसके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कराये जाने वाले ब्याज में से काट ली जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 15 मई, 1986 के का०डा० में दिए गए अनुदेशों के अनुसार बहागत मूल्य के प्रत्यर्पण के कारण निकाली गई राशि को और उल्लिखित प्रयोजन के लिए निकासी नहीं माना जाएगा।

के रतन

१ के० रतन १

निदेशक, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग

मानक वितरण सूची के अनुसार।

.....